52

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0
RS091-II/16

Rs.20/-

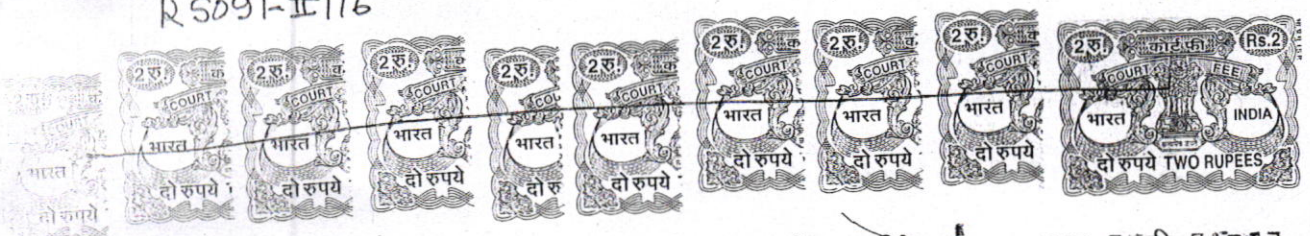

(1) श्रीमती संगीता पुत्री स्व0 श्री रामसजीवन सिंह उम्र 29 साल पत्नी पृथ्वीराज सिंह निवासी ग्राम छिजवार तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
(2) श्रीमती कलावती विधवा पत्नी रामसजीवन सिंह उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम सगौनी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

------- आवेदिकागण

विरुद्ध

(1) श्री देवराज सिंह तनय रामगोपाल सिंह निवासी ग्राम देवमऊ तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0
(2) नन्दलाल सिंह तनय रामनिवास सिंह निवासी ग्राम चोरमारी त0 रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

---- अनावेदकगण

श्री एन.बी. सिंह द्वारा आज दिनांक 17-2-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा प्रकरण क्रमांक 631/अपील/2011-12 पारित आदेश दिनांक 13/1/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

प्रार्थनापत्र/निगरानी के आधार निम्न है:-

(1) यह कि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय, विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि प्रकरण के तथ्य सूक्ष्म में इस प्रकार है कि:- आवेदिका क्र0 2 के कोई पुरुष पुत्र नहीं है मात्र आवेदिका क्रमांक 1 पुत्री है जो एक मात्र उत्तराधिकारी है। अनावेदिका क्र0 1 द्वारा तहसीलदार महोदय त0 रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सगौनी की आराजी नं0 175 व 375 का नामान्तरण विक्रयपत्र

संगीता सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 5091–दो/2016 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 631/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सगौनी स्थित अराजी कमांक 175 एंव 375 के विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 17 अ–6/07–08 में पारित आदेश दिनांक 26–5–11 से नामांतरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 118/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–2–12 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 631/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–16 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है। 3/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 631/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि वाद विचारित भूमि के विकय पत्र पर से तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 17 अ 6/07–08 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2007 से नामान्तरण किया था, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई , जो आदेश दिनांक 23–9–08 से निराकृत हुई। अनुविभागीय	

अधिकारी के आदेश दिनांक 23–9–08 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 12/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2010 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करने एंव नामान्तरण नियमों के अधीन पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया, जिसके पालन में तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 17 अ–6/07–08 में पारित आदेश दिनांक 26–5–11 से पुनः विकय पत्र के आधार पर नामांतरण किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने आदेश दिनांक 20–2–12 से पुष्टिकृत किया है एंव तहसीलदार रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 26–5–11 के निष्कर्ष तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 20–2–12 के निष्कर्ष समरूप पाते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 631/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–16 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है , क्योंकि राजस्व न्यायालय विकय पत्र की बैधता की जांच हेतु सक्षम नहीं है तथा विकय पत्र के आधार पर हक अर्जन करने पर राजस्व न्यायालय नामान्तरण कार्यवाही करके शासकीय अभिलेख अद्वतन रखने के दायित्वाधीन है । तहसीलदार रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 26–5–11 में निकाले गये निष्कर्ष , अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 20–2–12 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 13–1–16 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में सुनवाई का औचित्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य